

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या -- 594 / 2017 / बीकानेर.
2. अपील संख्या -- 595 / 2017 / बीकानेर.
3. अपील संख्या -- 596 / 2017 / बीकानेर.
4. अपील संख्या -- 597 / 2017 / बीकानेर.
5. अपील संख्या -- 598 / 2017 / बीकानेर.

मैसर्स राहुल टैक्सटाइल मिल्स,
स्टेशन रोड नापासर, बीकानेर

.....अपीलार्थी.

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वृत्त-ए, घट-तृतीय, बीकानेर.

.....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ

श्री के. एल. जैन, सदस्य

श्री ओमकार सिंह आशिया, सदस्य

उपस्थित : : .

श्री वी. के. पारीक, अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री अनिल पोखरणा,

उप-राजकीय अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 15 / 05 / 2018

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपरोक्त पांचों अपीलों अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, बीकानेर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित किये गये पृथक-पृथक आदेश दिनांक 30.12.2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी हैं। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेशों से सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-तृतीय, वृत्त-ए, बीकानेर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी की आलौच्य अवधियों के लिये पारित किये गये आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत अपीलों को अस्वीकार किया है, जिनका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है :-

अपील संख्या	अपीलीय अधिकारी का		कर निर्धारण		
	अपील क्रमांक	आदेश दिनांक	अवधि	आदेश दिनांक	अन्तर्गत अधिनियम
1	2	1	3	3	3
594 / 17	448 / आरवैट / बीकानेर / 2015-16	30.12.16	2009-10	26.06.15	आरवैट
595 / 17	491 / सीएसटी / बीकानेर / 2015-16	30.12.16	2008-09	26.09.13	आरवैट / सीएसटी
596 / 17	490 / आरवैट / बीकानेर / 2015-16	30.12.16	2009-10	26.09.13	आरवैट
597 / 17	493 / सीएसटी / बीकानेर / 2015-16	30.12.16	2010-11	18.01.16	आरवैट / सीएसटी
598 / 17	492 / आरवैट / बीकानेर / 2015-16	30.12.16	2010-11	18.01.16	आरवैट

2. इन पांचों अपीलों में पक्षकार एवं विवादित समान बिन्दु निहित होने से सभी प्रकरणों का निस्तारण एक ही संयुक्तादेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जा रही है।

31



लगातार.....2

3. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा टैन्ट व तिरपाल का निर्माण कर उसे 4/5 प्रतिशत की कर दर से विक्रय किया गया था। अपीलार्थी के कर निर्धारण आदेशों में फर्म द्वारा घोषित की गई 4/5 प्रतिशत कर दर को इस आधार पर अस्वीकार किया गया था कि टैन्ट एवं तिरपाल वैट अधिनियम की अनुसूची-IV में अंकित नहीं होने से इन पर 4 प्रतिशत की कर दर लागू नहीं होती है एवं अन्य किसी भी अनुसूची में भी इस माल को विहित नहीं करने से अनुसूची-V के अनुसार 14 प्रतिशत से करदेयता निश्चित की गई। उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलें की जाने पर अपीलीय अधिकारी ने उक्त अपीलाधीन आदेशों से अपीलार्थी की अपीलें अस्वीकार करते हुए यह निर्णय दिया कि टैन्ट एवं तिरपाल अनुसूची-IV की किसी भी प्रविष्टि में सम्मिलित नहीं है तथा अन्य किसी अनुसूची में भी यह नामांकित नहीं होने से अवशिष्ट वस्तुओं की श्रेणी में अनुसूची-V के तहत विहित कर दर 14 प्रतिशत से ही कर योग्य है। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेशों से व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा ये अपीलें प्रस्तुत की गयी हैं।

4. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी।

5. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सुनवाई का उचित अवसर दिये बिना यह आदेश पारित किया गया है अतः ये आदेश अपास्त योग्य हैं। साथ ही अपीलीय अधिकारी द्वारा भी टैन्ट एवं तिरपाल पर 14 प्रतिशत की कर दर की पुष्टि करने में भी त्रुटि की गयी है, अतः अपीलीय आदेश एवं कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया।

6. राजस्व की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय आदेशों का समर्थन किया।

7. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावलियों का अवलोकन किया गया।

8. उक्त प्रकरणों में अपीलार्थी और विभाग के बीच में विवाद का एकमात्र बिन्दु यह था कि अपीलार्थी द्वारा निर्मित टैन्ट एवं तिरपाल पर अनुसूची-IV के अनुसार 4/5 प्रतिशत से करदेयता है अथवा अवशिष्ट वस्तुओं के रूप में अनुसूची-V के अनुसार 14 प्रतिशत से। प्रकरण में वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के 4 प्रतिशत की कर दर को अस्वीकार करते हुए प्रथम बार यह आदेश पारित किया गया था कि अनुसूची-IV में टैन्ट एवं तिरपाल का कोई अंकन नहीं होने से यह 14 प्रतिशत

31

लगातार.....3

से कर योग्य है। उन दोनों आदेशों को अपीलीय अधिकारी द्वारा इस आधार पर निरस्त किया गया कि अपीलार्थी व्यवहारी को सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर पुनः आदेश पारित करें। ऐसी स्थिति में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रतिप्रेषित प्रकरणों वर्ष 2008-09 व 2009-10 में अपीलार्थी व्यवहारी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया परन्तु व्यवसायी पुनः कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ।

9. इसी तरह वर्ष 2010-11 में भी कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी की टैन्ट एवं तिरपाल की बिक्री पर 14 प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया गया है। प्रकरण में केवल कर दर का ही विवाद था, जिसका निर्णय अपीलीय अधिकारी द्वारा राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा अपील संख्या 309/2011/बीकानेर मैसर्स माहेश्वरी टैक्सटाईल मिल्स बीकानेर बनान अतिरिक्त आयुक्त (आई.टी.) वाणिज्यिक कर राजस्थान जयपुर में पारित किये गये निर्णय दिनांक 22.02.2013 को उल्लिखित करते हुए निर्णीत किया गया है कि टैन्ट एवं तिरपाल के रूप में जो वस्तु निर्मित होकर विक्रय की गयी है वह टैक्सटाईल मेडअप या केवल कपड़े के रूप में नहीं जानी जाती है, बल्कि इनका स्वतंत्र अस्तित्व है तथा टैन्ट व तिरपाल निर्मित करने के लिये प्रयुक्त होने वाले कपड़े पर वैक्स का उपयोग करते हुए उसे वाटरप्रूफ बनाया जाता है एवं उचित माप में काटकर आवश्यकतानुसार सिलकर बांधने योग्य बनाया जाता है जो कि एक भिन्न व्यापारिक वस्तु है, जिसका अंकन अनुसूची-IV में दिनांक 26.3.2012 से पूर्व नहीं किया गया था परन्तु राज्य सरकार द्वारा इस माल को दिनांक 26.3.2012 से अनुसूची-IV में प्रविष्टि संख्या 199 जोड़ते हुए इस पर 5 प्रतिशत से कर दर निश्चित की गयी है। इस सम्बन्ध में अतिरिक्त आयुक्त, वेट, वाणिज्यिक कर विभाग जयपुर द्वारा वेट अधिनियम की धारा 36 के तहत किये गये आदेश दिनांक 20.01.2011 की पुष्टि की गयी है जिसमें अतिरिक्त आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये गये यह प्रश्न कि टैन्ट एवं तिरपाल कर अनुसूची-IV की प्रविष्टि संख्या 16 के तहत other textile made up में शामिल योग्य है अथवा नहीं। अतिरिक्त आयुक्त द्वारा इस सम्बन्ध में विस्तृत आदेश पारित करते हुए यह अवधारित किया गया था कि टैन्ट एवं तिरपाल प्रविष्टि संख्या 16 में सम्मिलित नहीं होकर अनुसूची-V के अनुसार 14 प्रतिशत से कर योग्य है। इस सम्बन्ध में राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा चूंकि इस बिन्दु पर विस्तृत विवेचना करते हुए यह निर्णीत किया जा चुका है कि टैन्ट एवं तिरपाल पर अनुसूची-V के अनुसार 14 प्रतिशत से ही करदेयता है तथा हमारे समक्ष प्रस्तुत इस प्रकरण में अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा राजस्थान कर

31

लगातार.....4

बोर्ड के उक्त निर्णय मैसर्स माहेश्वरी टैक्सटाईल मिल्स के विरुद्ध किसी भी तरह का विपरीत निर्णय माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय अथवा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाना नहीं बताया गया है, अतः ऐसी स्थिति में कर बोर्ड के उक्त आदेश से यह प्रश्नगत विवादित बिन्दु पूर्णतः कवर्ड होने से अपीलार्थी की अपीलें खारिज किये जाने योग्य पायी जाती हैं।

10. परिणामस्वरूप अपीलार्थी व्यवहारी की अपीलें खारिज की जाकर अपीलीय आदेश दिनांक 30.12.2016 की पुष्टि की जाती है।

11. निर्णय सुनाया गया।


15.05.2018

(ओमकार सिंह आशिया)
सदस्य



(के. एल. जैन)
सदस्य